रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230449
CG-DL-E-18102021-230449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 600] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2021

**सा.का.नि. 743 (अ).**—केंद्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 18 की उपधारा (3), धारा 28क की उपधारा (1) और उपधारा (1क) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बायलर दुर्घटना जांच नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2.** **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है ;

(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 27क के अधीन गठित केंद्रीय बायलर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग)"मुख्य निरीक्षक" से अधिनियम के अधीन मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

(घ)"तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमश: उनके हैं ।

3. **दुर्घटनाओं की जांच—**अधिनियम की धारा 18 के अधीन बायलर या बायलर संघटक की दुर्घटना की रिपोर्ट की प्राप्ति पर प्रारंभिक जांच उस संबंधित राज्य में संचालित की जाएगी, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना घटित हुई है ।

4. **दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई मृत्यु होना—**ऐसे संबंधित राज्य का मुख्य निरीक्षक, जिसकी अधिकारिता में दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु हुई है, प्रारंभिक जांच के आधार पर, प्ररूप 'क' में तकनीकी सलाहकार को अविलंब रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

5. **दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी मृत्यु की जांच—**नियम 3 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी दुर्घटना के कारण कोई मृत्यु हुई है, वहां केंद्रीय सरकार द्वारा भी जांच संचालित की जाएगी ।

6. **जांच समिति का गठन—**(1) जांच, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली जांच समिति द्वारा की जाएगी, अर्थात् :--

(i) तकनीकी सलाहकार – अध्यक्ष ;

(ii) बायलर का मुख्य निरीक्षक या निदेशक – सदस्य ;

(iii) बोर्ड में बायलर और बायलर संघटक विनिर्माता का प्रतिनिधि या बायलरों का उपयोक्ता – सदस्य ।

(2) केंद्रीय सरकार, जांच समिति में, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को भी सहयोजित कर सकेगी, जिसका दुर्घटना के साथ कोई हित का टकराव न हो, यदि जांच संचालित करने में उसकी उपस्थिति को उपयोगी समझा जाता है ।

(3) जांच समिति का गठन, संबंधित राज्य के मुख्य निरीक्षक से दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई किसी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर किया जाएगा और मुख्य निरीक्षक से दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर जांच संचालित की जाएगी ।

7. **जांच के दौरान प्रक्रिया—**(1) जांच समिति क्षतिग्रस्त पुर्जों की सावधानीपूर्वक जांच करेगी और ऐसे मापमान या स्केच लेगी तथा रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए ऐसे फोटो ले सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

(2) जांच समिति, दुर्घटना की परिस्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विस्तार, मृत्यु का कारण तथा व्यक्तियों को हुई क्षति और संपत्ति को हुए नुकसान की जांच करेगी तथा इसकी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

8. **दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप किसी मृत्यु के पश्चात् बायलर का उपयोग—**(1) बायलर को तब तक प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है ।

(2) जांच पूरी होने के पश्चात्, संबंधित राज्य का मुख्य निरीक्षक इस बारे में विनिश्चय करेगा कि क्या बायलर के उपयोग को, मरम्मत के बिना या ऐसी किसी मरम्मत या परिवर्तन, जिसका वह आदेश करे, के पूरा होने तक, उसी दाब पर या निम्नतर दाब पर अनुज्ञात किया जा सकता है ।

**"प्ररूप 'क'**

**(नियम 4 देखिए)**

**बायलर सं. .........................में हुई दुर्घटना की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट**

सेवा में

तकनीकी सलाहकार (बायलर),

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग,

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,

भारत सरकार ।

महोदय/महोदया,

हमने बायलर सं. ……………………में हुई दुर्घटना की प्रारंभिक जांच की है और अब निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :--

1. दुर्घटना की तारीख और स्थान :

2. जांच की तारीख :

3. स्वामी का नाम और पता :

4. मृत और घायल व्यक्ति :

5. निर्माता का नाम :

6. बायलरों का संक्षिप्त वर्णन, साधारण अवस्था, अन्य बायलरों के संबंध में उसका अवस्थान, वह प्रयोजन, जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है और बायलर की आयु :

7. तारीखों के साथ पूर्व में की गई मरम्मतों की विशिष्टियां :

8. बायलर का ..................... को ...................................... द्वारा अंतिम बार निरीक्षण किया गया था।

9. दुर्घटना की प्रकृति :

10. दुर्घटना का कारण :

11. सामान्य टिप्पणियां :

बायलर मुख्य निरीक्षक।"

[फा. सं.पी.-30020/8/2021-बायलर]

सुमिता डावरा, अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2021

**G.S.R. 743 (E) .—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1),clause (g) of sub-section (1A) of section 28A and sub-section (3) of section 18 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Boiler Accident Inquiry Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "Board" means Central Boilers Board constituted under section 27A of the Act;

(c) " Chief Inspector" means a person appointed to be a Chief Inspector under the Act; and

(d) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4A of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Inquiry of accidents**.-On receipt of a report of an accident to a boiler or boiler component under section 18 of the Act, a preliminary inquiry shall be conducted in the concerned State in whose jurisdiction the accident has occurred.

4. **Accidents resulting in any death.-** The Chief Inspector of the concerned State in whose jurisdiction any death has resulted due to the accident , based on preliminary inquiry, shall forward a report without delay to the Technical Adviser in Form "A".

5. **Inquiry of accidents resulting in any death**.-(1) Without prejudice to rule3, where any death has resulted due to any accident, aninquiry shallalso be conducted by the Central Government.

6. **Constitution of inquiry committee.-** (1)The inquiry shall be conducted by an inquiry committee consisting of the following, namely:-

(i) Technical Adviser –Chairman;

(ii) a Chief Inspector or Director of Boiler –Member;

(iii) a representative of Boiler and boiler component manufacturer or user of boilers in the Board –Member.

(2) The Central Government may also co-opt any other person, who does not have any conflict of interest with the accident, in the inquiry committee if his or her presence is considered useful in conducting the inquiry.

(3) The inquiry committee shall be constituted within fifteen days of receipt of report of accident resulting in any death from the Chief Inspector of the concerned state and inquiry shall be conducted within forty-five days of receipt of report of accident from the Chief Inspector.

7. **Procedure during inquiry**.- (1)The inquiry committee shall make a careful examination of the damaged parts and shall take such measurements or sketches and may take such photographs for the purpose of report as they may deem necessary.

(2) The inquiry committee shall inquire into the circumstances of the accident, its nature and extent, the cause of death and injury to persons and the damage to property and shall submit the inquiry report to the Central Government.

8. **Use of Boiler after accident resulting in any death**.- (1) The boiler shall not be put to use till the inquiry is completed.

(2) After completion of inquiry, the Chief Inspector of the concerned state shall decide whether the use of boiler can be permitted at the same or at a lower pressure without repairs or pending the completion of any repairs or alterations that he may order.

**"FORM 'A'**

**(See rule 4)**

Report of the preliminary inquiry of the accident to Boiler No………………..

To

Technical Adviser ( Boiler)

Department for Promotion of Industry and Internal Trade,

Ministry of Commerce and Industry,

Government of India

Sir/Madam,

We have held a preliminary inquiry into the accident to Boiler No……………………. and now make the following reports.

1. Date and Place of accident.

2. Date of inquiry.

3. Name and address of owner.

4. Persons killed or injured.

5. Name of maker.

6. Short description of the Boilers general condition, its location with respect to other boilers, the purpose for which it is used and the age of the boiler.

7. Particulars of previous repairs with dates.

8. The boiler was last inspected on ………………….by………………………….

9. Nature of accident.

10. Cause of accident.

11. General remarks.

Chief Inspector of Boilers."

[F. No. P-30020/8/2021-Boilers]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.18 17:31:16 +05'30'